



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 माघ, 1946 (श०)

संख्या - 69 राँची, मंगलवार,

28 जनवरी, 2025 (ई०)

उद्योग विभाग

अधिसूचना

27 जनवरी, 2025

ज्ञापांक-04/योजना(भा०स०)-02/2023 उ०वि० 108--

विषय: राज्य में अवस्थित औद्योगिक क्षेत्रों में छात्रावास / डोरमेट्री निर्माण की अनुमति के संबंध में।

राज्य में अवस्थित औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन, प्रशासनिक कार्य प्रणाली एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन हेतु झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (जियाडा) अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर भूमि अधिग्रहण, सड़क, जल निकासी, जल आपूर्ति, सार्वजनिक उपयोगिताओं आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (जियाडा) का मुख्य उद्देश्य राज्य के समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों को बढ़ावा देना है।

2. राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों के तेजी से विकास और यहां कार्यरत श्रमिकों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए कार्यस्थल और आवास के बीच दूरी सुरक्षा (विशेष रूप से महिला कर्मचारियों की सुरक्षा) और उत्पादकता के प्रबंधन के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में छात्रावास/ डोरमेट्री निर्माण की आवश्यकता है। विशेषकर औद्योगिक क्षेत्रों में महिलाएँ दूर-दराज क्षेत्रों तथा अन्य जिलों से काम करने आती हैं, जिनके सुरक्षित आवासन आदि हेतु Hostel for Working Women की आवश्यकता है। औद्योगिक क्षेत्रों में छात्रावास/ डोरमेट्री के निर्माण से न केवल श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि राज्य के औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी। यह पहल महिला सशक्तिकरण सुरक्षित और सुविधाजनक कार्य वातावरण के निर्माण और राज्य में समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान करेगी।

3. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के "Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment 2024-25" अंतर्गत जारी दिशा-निर्देश के Part-X (Construction of Working Women Hostel) के आलोक में माननीय विभागीय मंत्री-सह-अध्यक्ष, झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (जियाडा) की अध्यक्षता में जियाडा के निदेशक मंडल की दिनांक-12 सितम्बर 2024 को संपन्न तेरहवीं बैठक में जियाडा अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों के अतिरिक्त सन्निकट अन्य संस्थानों/ इकाईयों इत्यादि में कार्यरत महिलाओं एवं पुरुषों के लिए छात्रावास/ डोरमेट्री के निर्माण औद्योगिक क्षेत्रों में किये जाने की स्वीकृति प्रदत्त है।

4. अतएव झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार नियंत्रणाधीन चारों प्रक्षेत्रों के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों एवं सन्निकट इकाईयों में कार्यरत कर्मियों के लिए छात्रावास/ डोरमेट्री के निर्माण की अनुमति दी जाती है। इस प्रयोजन के लिए झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (जियाडा) द्वारा झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार विनियमन, 2016 के तहत जमीन आवंटित की जा सकेगी।

5. यह निर्माण कार्य झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (जियाडा), राँची द्वारा किया जाएगा।

उक्त प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

जितेन्द्र कुमार सिंह

सरकार के सचिव।
